## भागीरथराम बनाम सजवारें खॉ

17-4-23

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 एवं आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट् की मृत्यु दिनांक 14–11–2020 को हो चुकी है। जिसकी जानकारी अपीलांट् के मुख्त्यारआम हो नहीं हो सकी। अपीलांट् की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के दिनांक 10–08–2021 को अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अबेटमेंट सेटअसाईड का प्रार्थना पत्र मय मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट् एक वृद्व व्यक्ति है तथा बीमार रहता है तथा अपीलांट् की औरत की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। अपीलांट् के वृद्व होने व कोरोना काल व बीमारी की अवस्था के कारण निर्धारित समयावधि में मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अपीलांट् को जैसे ही इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई, अपीलांट् द्वारा बिना किसी विलम्ब के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र व अबेटमेंट सेटएसाईड करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलांट् द्वारा जानबूझकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं किया गया है। मृतक के कानूनी वारिसान को जानकारी से अन्दर मियांद मानते हुए रिकार्ड पर लिये जाने के प्रावधान निहित है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विधिक अधिकारों का निर्धारण गुणावगुण पर तय होना शेष हो तो ऐसी स्थिति में अपील को अबेट धोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कानूनन भी अपील अबेट धोषित नहीं की जा सकती है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रस्तुत अपील मृतक के उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लेने की मियांद 90 दिन के पश्चात् अबेटमेंट सेटएसाईड करने की 60 दिन इस प्रकार कुल 150 दिन की मियांद निर्धारित की गई है। उक्त अवधि में सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोविड–19 के कारण बन्द था तथा आम जनता के आवागमन पर रोक लगी हुई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट जोकि एक वृद्व व्यक्ति है, के अपने गृह स्थान से बाहर आना–जाना संभव नहीं था। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा इस संबंध में माननीय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सर्वोच्य न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कथन किया कि दिनांक 15–03–2020 से दिनांक 28–02–2022 तक की अवधि को मियांद में जोड़ने से छूट प्रदान की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण गुणावगुण पर बहस सुनने के पश्चात् किया जाना हो, वहॉ मात्र तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामलें में भी पक्षकारों के मध्य लम्बे समय से विवाद जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर उनके कानूनी व विधिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ना ही कानून की ऐसी मंशा ही रही है। इसलिए माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अपील अबेट नहीं हुई है। इसलिए अबेटमेंट सेटएसाईड किया जाकर अपील में अपीलांट् मनोज दत्तक पुत्र भागीरथराम जरिये संरक्षक हरदेव पुत्र रूगाराम जाति जाट को बतौर अपीलांट् भागीरथराम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2007 पेज 852, पेज 608 व पेज 264 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट् भागीरथराम पुत्र रूगाराम की मृत्यु दिनांक 14–11–2020 होने के उपरान्त भी उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत अपील सीपीसी के प्रावधानों के तहत अबेट हो चुकी है। विधिक रूप से किसी भी पक्षकार के फौत होने के उपरान्त 90 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के प्रावधान कानून में निहित है। यदि निर्धारित अवधि में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तो अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है, इसके लिये पृथक से आदेश जारी करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान सीपीसी के आदेश 22 नियम 4 की तरफ आकर्षित करवाया गया जिसके अनुसारः–

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

**Civil Procedure Code 1908 – Order 22 Rule 4 – when LR's of the deceased defendant wer not brought on record within 90 days even after the information before the court about the death of defendant by the counsel of the defendant suit will abate.**

उन्होनें आगे बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, धारा 5 मियांद अधिनियम एवं आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि पक्षकार अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में नहीं रहता हो। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य लम्बी अवधि से मुकदमेंबाजी चल रही है, ऐसी स्थिति में यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट् के मुख्त्यारआम को अपीलांट् की मृत्यु की जानकारी नहीं रही हो। अपीलांट् द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वेग कथन किये है अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मियांद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आते है। अपीलांट् भागीरथराम द्वारास किसी को गोद नहीं ले रखा था तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिसे बतौर अपीलांट् स्थापित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह अपीलांट् के भाई का पुत्र है तथा आज दिनांक को वह नाबालिग है तथा कानूनन नाबालिग को आवंटन नहीं हो सकता ना ही वह आवंटन की प्रकिया में भाग ही ले सकता है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अपीलांट् की मृत्यु दिनांक 14–11–2020 के उपरान्त 638 दिन के पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इतनी लम्बी अवधि तक अपीलांट् की मृत्यु की जानकारी नहीं होना अथवा उनके सम्पर्क में नहीं रहने के कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कानूनन यह कर्तव्य अपीलांट्/वादी का रहता है कि वह निर्धारित समायवधि में मृतक के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आते है। बिना किसी संतोषजनक कारण के अपीलांट् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट् का कृत्य यह साबित

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करता है कि अपीलांट भागीरथराम के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं दिखाई है व केवल मात्र प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बा चलाना चाहते है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। चूंकि अपीलांट् अपने कृत्य के प्रति सावचेत नहीं रहे है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् के वारिसान को निर्धारित समयावधि में रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने व अपीलांट् द्वारा इस आश्य की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सिविल प्रकिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज करने की मांग जरिये प्रार्थना पत्र की गई। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट् भागीरथराम की मृत्यु दिनांक 14–11–2020 को हो चुकी थी। प्रार्थीण द्वारा भागीरथराम के वारिसान के तौर पर प्रार्थना पत्र दिनांक 10–08–2021 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपीलांट् भागीरथराम की मृत्यु दिनांक 14–11–2020 के उपरान्त निर्धारित अवधि 90 दिवस एवं मियांद की छूट प्रदान करते हुए अर्थात 60 दिवस इस प्रकार कुल 150 दिवस के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए बतौर वारिसान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना इस तथ्य को साबित करता है कि वे अपने दायित्वों से विमुख रहे है। प्रार्थीगण स्वयं अपने दायित्वों के प्रति सावचेत नहीं रहे है। प्रार्थीगण प्रस्तुत अपील में अपनी उदासिनता/लापरवाही से विमुक्त नहीं हो सकते। न्याय की भी यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। **सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम (3) में अभिलिखित किया गया है कि " जब अपीलांट के उत्तराधिकारियों को 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर नहीं लिया गया तो अपील अबेट हो जायेगी"**

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बतौर गोदपुत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिससे प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता हो, कि प्रार्थी भागीरथराम का गोदपुत्र रहा हो। केवल मात्र मौखिक कथन से यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी बतौर गोदपुत्र प्रकरण में आवश्यक पक्षकार स्थापित किया जावे। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थी वादग्रस्त भूमि से हितबद्व पक्षकार नहीं हो, अर्थात भागीरथराम के वारिसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

न्यायालय अन्तहीन समय तक अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु इंतजार नहीं कर सकता ना ही अन्य पक्षकारों को उनकी विधिक मांग से वंचित ही रखा जा सकता है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में यह साबित है कि अपीलांट् के वारिसान अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहे है नाही उनके स्वयं के द्वारा अपने हितों की सुरक्षार्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही की गई है। अतः सिविल प्रकिया संहिता, 1908 में के आदेश 22 नियम 9 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपीलांट् की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

17/4/23

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते